



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062025-263756
CG-DL-E-12062025-263756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2512]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2025/ज्येष्ठ 22, 1947

No. 2512]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2025/JYAISTHA 22, 1947

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2025

(आयकर)

का.आ. 2576(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (3) तथा उप-नियम (6) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (v) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के उक्त खंड (48) के प्रयोजनों के लिए बंधपत्र (बॉन्ड) को निम्नलिखित विवरणों के साथ शून्य कूपन बंधपत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

- (क) बंधपत्र का नाम - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का शून्य कूपन बंधपत्र
(ख) बंधपत्र की जीवन अवधि - दस वर्ष ग्यारह माह तेरह दिन
(ग) बंधपत्र जारी करने की समय-सारणी - दिनांक 31 मार्च 2027 को या उससे पहले जारी किया जाना है
(घ) परिपक्वता या बंधपत्र के मोचन पर - 19,500 करोड़ रुपये
भुगतान की जाने वाली राशि
(ङ) छूट - 10,349.625 करोड़ रुपये
(च) जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की संख्या - 19.50 लाख

[अधिसूचना सं. 56/2025 / फा.सं. 300164/4/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2025

(INCOME TAX)

S.O. 2576(E).—In exercise of the powers conferred by clause (48) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with clause (ii), clause (iii) and clause (v) of sub-rule (3) and sub-rule (6) of rule 8B of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby specifies the bond with the following particulars as zero coupon bond for the purposes of the said clause (48) of section 2 of the said Act, namely :-

- | | |
|--|--|
| (a) name of the bond | - Zero Coupon Bond of The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) |
| (b) period of life of the bond | - Ten years eleven months thirteen days |
| (c) the time schedule of the issue | - To be issued on or before the 31 st day of March 2027 of the bond |
| (d) the amount to be paid on maturity
or redemption of the bond | - Rs.19,500 crores |
| (e) the discount | - Rs. 10,349.625 crores |
| (f) the number of bonds to be issued | - 19.50 lakhs |

[Notification No. 56 /2025/ F.No.300164/4/2024-ITA-1]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.